

कार्यालय कलेक्टर दुर्ग (छ0ग0) एवं पदेन संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

--:: सार्वजनिक सूचना ::--

क्रमांक/ 2860 /भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-16

दिनांक 1 OCT 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की जिला दुर्ग के रुदा-धिरी मार्ग के किमी 1/4 में शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुँचमार्ग निर्माण हेतु ग्राम:-रुदा पहन0:-37 रा.नि.मं.अंजोरा(ख) तह0 व जि0 दुर्ग (छ0ग0) पहुँच मार्ग निर्माण योजना हेतु निम्नलिखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति-2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़) के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों के विवरण)

स0 क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम व पिता व पति का नाम	क्रय की जाने वाली भूमि हेक्टर में एवं परिसंपत्ति का विवरण	
		खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा हे0 एवं परिसम्पत्ति
1	2	3	4
1	गैदसिंह आ0 जैयराम एवं अन्य-02	71	0.012
2	निरंजन लाल आ0 डोमार सिंह-12 एवं अन्य-	70	0.064
3	मालवीय कुमार आ0 द्वारिका प्रसाद एवं अन्य-06	69	0.052
4	जयंत कुमार आ0 देवकुमार एवं अन्य-03	67	0.064
योग	कुल कृषकगण-04	4	0.192

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।



( डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे )  
कलेक्टर जिला दुर्ग (छ0ग0)  
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

2 1 OCT 2021

पृ0क्रमांक/ 2860 /भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-16

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सार्वजनिक सूचना को एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करे।
3. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ । कृपया सार्वजनिक सूचना को (छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं) कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) दुर्ग (छ0ग0) वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. तहसीलदार, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहपत्र:- शून्य



( डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे )  
कलेक्टर जिला दुर्ग (छ0ग0)  
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,